आदेश की क्रम सं० एव तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

26/7/23

न्यायालय, श्रीमतीं मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर० वाद सं०-21/2016-17

दीपक टोप्पो, पिता बीरबल उराँव, निवास स्थान–बाँधगाडी, थाना–सदर, जिला राँची। ... प्रथम पक्ष

बनाम

ज्योति कुमुदनी देमती, पति अनुज राज विक्टर देमता, निवास स्थान–लालपुर पीस रोड, थाना–लालपुर, जिला राँची। ... द्वितीय पक्ष

आदेश

प्रर्थम पक्ष दीपक टोप्पो, पिता बीरबल उराँव, निवास स्थान–बाँधगाडी, थाना–सदर, जिला राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्ष ज्योति कुमुदनी देमता, पति अनुज राज विक्टर देमता, निवास स्थान–लालपुर पीस रोड, थाना–लालपुर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गाड़ी	194	07	347	10 कट्ठा

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में एतवा उराँव के नाम दर्ज है।

प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्ष ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

26/7/23

कृ०पृ०उल्टे

प्रथम पक्ष ने अपने ब्यान में कहा है कि उपरोक्त भूमि रिवीजनल सर्वे खतियान में एतवा उराँव के नाम दर्ज है। एतवा उराँव अपने पीछे (1) विशु उराँव वो (2) शनिचरवा उराँव को छोड़ गये। शनिचरवा उराँव अपने पीछे (1) एतवा उराँव (2) सधुवा उराँव वो (3) बुधराज उराँव को छोड गये। बुधराज उराँव अपने पीछे (1) बिरबल उराँव वो (2) जीवन उराँव को छोड़ गये। बिरबल उराँव अपने पीछे (1) राजु उराँव वो (2) दीपक टोप्पो (आवेदक) को छोड़ गये है। जीवन उराँव अपने पीछे (1) नितिन टोप्पो वो (2) निरज टोप्पो वो (3) एडवीन टोप्पो को छोड़ गये है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी है। द्वितीय पक्ष छल–प्रपंच कर वर्णित भूमि को दखल कर लिया गया, इसे वापस दिलाया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर विद्वान अधिवक्ता अपने बहस में तर्क दिया है कि वर्णित भूमि को द्वितीय पक्ष ने अनुमति वाद सं॰ 44R8/96-97 लखीराम उराँव बनाम बिहार की अभिप्रमाणित प्रति में धारा–48 के अन्तर्गत है, तथा अनुमति सधुवा मुण्डा से नहीं लिया गया है, सधुवा मुण्डा की मृत्यु 1996 में हो गयी थी। सभी वादों की जाँच करायी जाय।

द्वितीय पक्ष ने अपने लिखित ब्यान में कहा है कि विवादित भूमि मौजा–गाड़ी, खाता नं॰–07, प्लॉट नं॰–347, रकवा–10 कट्ठा से संबंधित वाद दायर किया गया है। विवादित भूमि सर्वे खतियान में एतवा उराँव, पिता डेका उराँव के नाम से दर्ज है। उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। द्वितीय पक्ष ने विवादित वर्णित भूमि को सक्षम न्यायालय, लगान वाद उप–समाहर्त्ता, सदर, राँची से धारा–46 के अन्तर्गत बिक्रय अनुमति वाद सं॰–44R8/96-97 सुधुवा उराँव बनाम बिहार सरकार दायर किया और सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक–26.10.1996 को बिक्री करने का अनुमति आदेश खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी सधुवा उराँव ने प्राप्त किया। विक्रय अनुमति प्राप्त होने के बाद द्वितीय पक्ष वर्णित भूमि को जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, राँची में दिनांक–05.05.1997 को बिक्रय पत्र सं॰–2123/97 सुधुवा उराँव, पिता स्व॰ भौवा उराँव से बिक्री निबंधन हस्तान्तरित प्राप्त कर संबंधित अंचल अधिकारी से दाखिल खारिज कराकर सलाना मालगुजारी भुगतान करते आ रहे हैं।

Mi 26/7/23

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने ब्यान में तर्क दिया है कि विवादित भूमि द्वितीय पक्ष की निबंधित है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि वर्णित भूमि को द्वितीय पक्ष गलत तरीके से विक्रय अनुमति प्राप्त किया है, जबकि वर्णित भूमि की अनुमति सक्षम न्यायालय लगान वाद उप–समाहर्त्ता, सदर, राँची से धारा–46 के अन्तर्गत बिक्रय अनुमति वाद सं॰–44R8/96-97 द्वारा प्राप्त किया गया है, अन्य अनुमति सक्षम न्यायालय लगान वाद उप–समाहर्त्ता, सदर, राँची से धारा–48 के अन्तर्गत बिक्रय अनुमति वाद सं॰–44R8/96-97 है। धारा–46 एवं 48 में एक ही अनुमति वाद संख्या रहने के कारण प्रथम पक्ष गलत नियत से मनगढंत आरोप लगाया है। आवेदक अपने वंशावली में भी गलत वंशज को दर्शाया है, जबकि भौवा उराँव खतियानी रैयत के वंशज में है, और भौवा उराँव के पुत्र सुधुवा उराँव ने ही विवादित भूमि को द्वितीय पक्ष एवं अन्य पक्षों के साथ अनुमति प्राप्त कर बिक्री हस्तान्तरित किया है। खतियानी रैयत के अन्य वंशज इस वाद में वादी नहीं, मात्र आवेदक द्वारा ही वाद दायर किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज किया जाय, और द्वितीय पक्ष को न्याय दिया जाय।

अंचल अधिकारी, हेहल के पत्रांक 839(ii) दिनांक 27.08.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में एतवा उराँव, वल्द डेलो उराँव के नाम से दर्ज है। पंजी–II के अनुसार ज्योति कुमोदनी देमता, पति अनुपराज विक्टर देमता रजिस्ट्री पट्टा द्वारा प्राप्त हुई है भूमि की बिक्री सक्षम न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर किया गया है, तथा चहारदिवारी बनाकर द्वितीय पक्ष दखलकार है।

अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस वाद को आदेश पर रखा गया। प्रथम पक्ष के निवेदन पर न्यायालय द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं धारा–46 का सत्यापन कराया गया। उक्त निवेदन के आलोक में निबंधक, जन्म मृत्यु शाखा, राँची नगर निगम, राँची के पत्रांक–405 दिनांक–07.08.2022 ने प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया है कि मृतक SADHUWA ORAON का मृत्यु प्रमाण पत्र E-District के तहत प्रज्ञा केन्द्र द्वारा जारी किया गया है। जनवरी 2017 से उक्त Software JAP-IT द्वारा

26/7/23

बन्द कर दिया गया है, एवं जिला अवर निबंधक का कार्यालय, राँची के पत्रांक–502 दिनांक–29.02.2022 ने प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया गया है कि दस्तावेज सं॰–2123, जिल्द सं॰–627, पृष्ट सं॰–228 से 236 वर्ष 1997 में लछुवा उराँव, पिता भौवा उराँव बनाम ज्योति कुमुदनी देमता, पति अनुज राज विक्टर देमता, मौजा–गाड़ी, थाना नं॰–194, खाता नं॰–7, प्लॉट नं॰–347,सब प्लॉट नं॰–347/ई॰ रकवा–2 एकड़, मध्ये रकवा–10 कट्टा भूमि दर्ज है, तथा प्रभारी पदाधिकारी, जिला अभिलेखागार, राँची के पत्रांक–289 दिनांक–8.9.2022 ने प्रतिवेदित किया गया है कि परमीशन वाद सं॰–44R8/96-97 धारा–46 सधुवा उराँव बनाम बिहार सरकार तथा परमीशन वाद सं॰–44R8/96-97 धारा–48 लखीराम उराँव वगैरह बनाम बिहार आदेश निर्गत है। अतः अनुमति वाद सं॰–44R8/96-97 की धारा–46 एवं 48 में एक ही अनुमति वाद संख्या अलग अलग धारा के तहत आदेश निर्गत है। इस वाद के अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उभय पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य है, और प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में एतवा उराँव वल्द डेलो उराँव के नाम से दर्ज है, तथा द्वितीय पक्ष धारा–46 के अन्तर्गत बिक्रय अनुमति सधुवा उराँव से प्राप्त कर बिक्रय पत्र के माध्यम से बिक्री निबंधन द्वारा हस्तान्तरित प्राप्त किया गया है। पंजी–II में भी द्वितीय पक्ष ज्योति कुमोदनी देमता का ही नाम दर्ज हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन के हस्तांतरण में छो॰का॰अधि॰के धारा 46(A) का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत जमीन के हस्तांतरण में छो॰का॰अधि॰ 1908 की धारा 46(A) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

अतः उक्त भूमि पर 71"A" लागू नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रथम पक्ष का आवेदन को अस्वीकृत कर, वाद को खारिज करते हुए समाप्त किया जाता है।

संशोधित।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 17:15:12 +05:30
Location: 192.168.51.39

26/7/23
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

26/7/23
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।